

दिनांक 06.12.2024
आज पत्रावली पेश हुई। वकील पत्र
पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारि है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 06.12.2024 को पेश हो।
11.12.2024

वि. सुभाष

रीडर

11.12.2024

वि. सुभाष

आज पत्रावली पेश हुई वकील
प्राथमिक ने दावा में प्र. पत्र पेश कर
निवेदन किया है कि प्राथमिक किसी
प्रकार की कार्यवाही नहीं करना चाहते
हैं। दावा वादीगण स्वार्थि किशु जा
चुका है इसलिए डे प्र. पत्र अल्पाई
निषेधाना को चलावे का कोई आदेश
नहीं रह जाता है। अतः प्र. पत्र स्वार्थि
किशु जाते हैं अप्राथमिक को विरुद्ध
जाती स्वयं आदेश दिनांक 06.11.2024
को निरस्त किया जाता है पत्रावली
फैल्लु शुगाट होकर मूल वाद अंतग्न रहे।

आदेश सुनाय गद्य) *M. M. M.*
उपर्युक्त अधिकारी
महाराज जिला दौसा